BCC BULLETIN
THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE
Vol. XXXXIII | 6th June 2012 | No. 7

बांग्लादेश आएं, व्यापारिक संबंध बनाएं

बिहार के व्यापारियों को बांग्लादेश आने का मिला न्योता

बैठक को संबोधित करते भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम तारिक ए. करीम। उनकी दायीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका तथा बाँयीं ओर बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री मो. एच. आर. खान।

बिहार के व्यापारियों को बांग्लादेश में व्यापार करने का न्योता मिला है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दिनांक 10.05.2012 के कार्यक्रम में आये भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त तारिक ए. करीम ने कहा कि बिहार से व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश आये और वहां के व्यापारियों से मिले। इससे जरूरी सामानों का आयात-निर्यात किया जा सकेगा। इस तरह से आपसी व व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे।

उन्होंने कहा कि जिस तरह कार को चलाने के लिए मशीनरी और पेट्रोल की जरूरत है। उसी तरह अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और पावर जरूरी है। बिहार, बंगाल और ओड़िशा को एक करके चलते हैं तो इससे कारोबार बढ़ सकता है। भारत और बांग्लादेश में बिजली की काफी कमी है। इसे दूर करना होगा। इसे दुरूस्त करने पर ही अर्थव्यवस्था दुरूस्त होगी। उन्होंने कहा कि गंगा में पानी की कमी नहीं है। बस वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह ने कहा कि बिहार व बांग्लादेश के बीच आयात व निर्यात की भारी मात्रा में संभावनाएँ हैं। खास कर मशीनरी, कॉटन, कोयला व सेरामिक सहित अन्य क्षेत्रों में। बिहार में हो रहे बदलाव की चर्चा करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इस राज्य में व्यापारियों को किसी तरह की समस्या नहीं है। पूर्व अध्यक्ष जुगेश्वर पाण्डेय ने कहा कि बांग्लादेश व पाकिस्तान के लोग अपने ही हैं। मौके पर बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री मो. एच. आर. खान, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष गणेश कुमार खेतड़ीवाल, नन्हे कुमार, एवं कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार जैन, पूर्व अध्यक्ष डी. पी. लोहिया, मोती लाल खेतान आदि उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन चैम्बर के महामंत्री संजय कुमार खेमका ने किया।

(साभार : प्रभात खबर 11.05.2012)

महंगे पेट्रोल से प्रभावित होंगे आमलोग

विकास दर पर बुरा असर पड़ेगा

आम और खास, हर वर्ग के लोगों पर इसका असर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को और अधिक परेशानी होगी। मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी। ऐसे में महंगाई तो बढ़ना ही है। पेट्रोल से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाएंगे। आर्थिक विकास दर पर बुरा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम पर भारत की तरह टैक्स नहीं है। भारत में लगभग एक सौ फीसदी टैक्स है। सरकार को दाम बढ़ाने की बजाए टैक्स कम करना चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम का निर्धारण बाजार आधारित होना चाहिए।

– ओ. पी. साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

असर आम लोगों पर होगा

महंगाई का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के वर्किंग क्लास इससे ज्यादा प्रभावित होंगे। किसानों पर भी इसका असर पड़ेगा। छोटे व्यवसायी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो कम से कम दस करोड़ लोगों पर पेट्रोल के दाम बढ़ने का सीधा असर पड़ेगा। डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। इस वजह से बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्थानीय बाजारों में असर दिखायी पड़ेगा। शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले जाने के लिए छोटे वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसमें ज्यादातर पेट्रोल से चलने वाले वाहन होते हैं। **– पी. के. अग्रवाल,** पूर्व अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स

(साभार : हिन्दुस्तान 24.05.2012)

नई जगह शीघ्र शिफ्ट हो एयरपोर्ट

पटना एयरपोर्ट को खतरनाक घोषित हुए दो साल बीत गए, लेकिन अब तक सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए नए एयरपोर्ट का इंतजाम नहीं हुआ। एयरपोर्ट को पटना शहर से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाने को लेकर होने वाली बातें कयासों तक ही सीमित है। इस मुद्दे पर 'हिन्दुस्तान' की ओर से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सभागार में दिनांक 24.05.2012 को आयोजित 'संवाद' में राजधानी के उद्योगपतियों ने बहस की। उनका मानना है कि यदि जल्दी ही सुरक्षित एयरपोर्ट को लेकर बिहार और केंद्र सरकार ने सार्थक कदम नहीं उठाया, तो इसका असर राज्य में होने वाले निवेश पर भी पड़ेगा। उन्होंने कई सुझाव भी दिए। कुछ उद्योगपतियों ने उन जगहों के नाम भी सुझाए, जहां सुरक्षित एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। जहां कुछ लोगों ने पटना एयरपोर्ट के विस्तार पर बल दिया, तो कुछ का कहना था कि गंगा नदी द्वारा खाली की गई जमीन भी नए एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त हो सकती है।

राज्य के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि पटना एयरपोर्ट के लिए जहां भी जमीन उपलब्ध हो, वहां व्यवस्था शीघ्र की जाए ताकि राज्य के विकास में किसी प्रकार का रूकावट आए। **– ओ. पी. साह,** अध्यक्ष, बीसीसी

एयरपोर्ट को दूसरी जगह ले जाया जाए। चाहे वह शहर से 40-50 किमी दूर ही क्यों न हो। बेंगलूरू में भी एयरपोर्ट शहर से काफी दूर है, लेकिन ट्रैफिक इतना बेहतर है कि लोगों को पता नही चलता है। मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि इस एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सकता है, तो कार्रवाई करें। **– नन्हे कुमार,** उपाध्यक्ष, बीसीसी

एयरपोर्ट को शहर से दूर ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर पटना से दूर बनाना ही है तो यात्रियों के लिए फेरी सेवा बहाल करनी होगी। अगले 50 साल को ध्यान में रखकर ही एयरपोर्ट से जुड़ी आधारभूत संरचना का विकास करना होगा। यह सही है कि मौजूदा एयरपोर्ट का रनवे छोटा है। **– सुबोध कुमार जैन,** कोषाध्यक्ष, बीसीसी

(साभार : हिन्दुस्तान 25.05.2012)

वस्त्र उद्योग को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता

राज्य सरकार लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। भोजन, वस्त्र एवं आवास मुहैया कराने के लिए काम किया जा रहा है। लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। निर्माण क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। अब सरकार लोगों को वस्त्र मुहैया कराने के लिए वस्त्र उद्योग को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। वस्त्र उद्योग में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को सरकार जमीन मुहैया करायेगी। वस्त्र एवं आइटी उद्योग के लिए जमीन बचाकर रखी गयी है। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीघा आइटीआइ में रेमण्ड टेलरिंग सेन्टर के उद्घाटन समारोह में कही।

वस्त्र उद्योग की प्रतिष्ठित कंपनी रेमण्ड ने राजधानी के दीघा आइटीआइ में देश का पहला टेलरिंग सेन्टर खोला है। केन्द्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस संबंध में रेमण्ड के प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंघानिया ने बताया कि कंपनी ने टेलरिंग सेन्टर खोलकर प्रदेश में एक बीज डाला है। उन्होंने बताया कि इस केन्द्र में 150 युवक-युवतियों को छह माह तक प्रशिक्षण दिया जायेगा। यहां पर पैंट, शर्ट एवं सूट सीने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। सभी प्रशिक्षित युवाओं को रेमण्ड द्वारा नियोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि के लिए युवाओं को 2000 रुपये केन्द्र के पास डिपोजिट करने

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबे में वस्त्र उद्योग की अपार संभावनाएं है। मुख्य रूप से टेलरिंग के क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है। इससे लोगों की आय बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। मौके पर मुख्यमंत्री ने रेमण्ड के प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंघानिया से आग्रह किया कि सूबे में उद्योग स्थापित करें, सरकार उन्हें हर संभव मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सूबे में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिल्क उत्पाउदन के लिए योजना बना रही है। सिल्क के लिए भागलपुर एवं सुपौल में बेहतर काम हो रहा है। मौके पर उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि टेलरिंग का प्रशिक्षण न केवल दीघा आइटीआइ में देने की जरूरत है बल्कि उसका विस्तार राज्य के प्रत्येक आइटीआइ में होना चाहिए। टेलरिंग का प्रशिक्षण देकर प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। श्रम संसाधन मंत्री जर्नादन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए सरकार तत्पर है। प्रदेश में पांच साल पहले मात्र सरकारी क्षेत्र में 29 एवं निजी क्षेत्र में 50 आइटीआइ थे। लेकिन वर्तमान में सरकारी क्षेत्र में 59 एवं निजी क्षेत्र में 455 आइटीआइ कार्यरत है। 12 आइटीआइ केवल महिलाओं के लिए चलाये जा रहे हैं। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने कहा कि विभाग एवं रेमण्ड ने संयुक्त से टेलरिंग केन्द्र खोलकर एक अनूठा प्रयोग किया है। टेलरिंग केन्द्र के लिए रेमण्ड को जमीन मुफ्त में मुहैया करायी गयी है।

समारोह में आये अतिथियों का स्वागत करते हुए रेमण्ड के प्रबंध निदेशक गौतम हरि सिंधानिया ने कहा कि सूबे में टेलरिंग सेन्टर खोलकर एक शुरूआत की गयी है। सबकुछ ठीक से चला तो आगे निवेश के बारे में कंपनी विचार करेगी। प्रदेश में वस्त्र उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। धन्यवाद ज्ञापन रेमण्ड के उपाध्यक्ष राम भटनागर ने किया। मौके पर विधायक जय प्रताप, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद, श्रम निदेशक धीरेन्द्र मोहन झा एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ. पी. साह सहित कई लोग उपस्थित थे।

(साभार: दैनिक जागरण 16.05.2012)

उम्मीदों की बिजली जली

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय बिहार के तीन नए बिजलीघरों के लिए कोल ब्लॉक देने की अनुशंसा करेगा। इस संबंध में मंत्रालय ने बिहार से प्रस्ताव मांगा है। बिहार के प्रस्ताव को ऊर्जा मंत्रालय अपनी अनुशंसा के साथ केन्द्रीय कोयला मंत्रालय को भेजेगा। इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है।

पिछले दिनों बिहार ने कजरा (लखीसराय), पीरपैंती (भागलपुर) और चौसा (बक्सर) बिजलीघरों के लिए कोल लिंकेज की मांग की थी। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने केन्द्रीय कायेला मंत्रालय से बरौनी में स्थापित होने वाली नई यूनिट के लिए कोल लिंकेज देने का अनुरोध किया है। उसने बिहार के बिजली संकट को देखते हुए बरौनी बिजलीघर को विशेष परिस्थिति में कोल लिकेंज देने की अनुशंसा की थी। यह मामला भी फिलहाल कोयला मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

हमने कोल लिंकेज की मांग की थी, लेकिन केन्द्र ने ब्लॉक की पहल की है। हमें कोल ब्लॉक की भी जरूरत है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

बिहार में केस-दो के तहत तीन बिजलीघरों का निर्माण प्रस्तावित है। इनकी क्षमता 1320-1320 मेगावाट की है। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद केन्द्र से कोल लिकेंज नहीं मिल पाया है। बिहार ने इसके लिए कई बार अनुरोध भी किया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद भी कोल लिकेंज की मांग कई बार केन्द्र के समक्ष रखी।

पिछले दिनों केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिन्दे के पटना दौरे के क्रम में यह मामला फिर से उठाया गया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया था कि कोल लिकेंज नहीं मिलने से बिजलीघरों के निर्माण के लिए अनिवार्य अन्य क्लीयरेंस में भी परेशानी हो रही है। जरूरत के हिसाब से लगभग जमीन उपलब्ध हो चुकी है। पर, तमाम कोशिशें कोयला को लेकर ठप है। शिन्दे ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया था।

(साभार : हिन्दुस्तान 26.05.2012)

पटना में बिजली व्यवस्था फ्रेंचाइजी को

फ्रेंचाइजी क्यों?

फ्रेंचाइजी सिस्टम के पीछे तर्क यह है कि इसमें आपूर्ति बेहतर होगी। उपभोक्ताओं की परेशानियों का तत्काल समाधान हो सकेगा। देर शाम बिजली गुल हो जाने की स्थिति में बिजली बोर्ड को आपूर्ति बहाल करने में दिक्कत होती है। फ्रेंचाइजी की पास यह जिम्मेवारी होने से उपभोक्ताओं की समस्याओं को दुरूस्त करने के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी।

शर्तों का निर्धारण

फ्रेंचाइजी के विस्तृत स्वरूप, शर्तों आदि का निर्धारण किया जा रहा है। शीघ्र ही इस पर भी निर्णय होगा।

मॉनिटरिंग

फ्रेंचाइजी का काम विभिन्न हिस्सों में बंटा होगा और वहां खुद मॉनिटरिंग सेल होगा। पर, बिजली बोर्ड मुख्यालय उनके तमाम कार्यों की मॉनिटरिंग करेगा। हालांकि प्रारंभिक मॉनिटरिंग बिजली बोर्ड की संबंधित कंपनी करेगी, जिसके अंदर आपूर्ति का काम होगा। उपभोक्ता गड़बड़ी की शिकायत फ्रेंचाइजी को करेंगे। वहां उनकी बात सुनना अनिवार्य है।

नहीं बढ़ेगा बिजली शुल्क

फ्रेंचाइजी के पास बिजली व्यवस्था जाने के बाद बिजली शुल्क में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं होगी। बिजली शुल्क का निर्धारण बिहार टेस्ट रेगुलेटरी कमीशन द्वारा होता है। लिहाजा शुल्क पर अंकुश रहेगा। अलबत्ता बिजली बोर्ड फ्रेंचाइजी व्यवस्था के कारण बढ़े अतिरिक्त भार को शुल्क से जोड़ कमीशन के पास वृद्धि का आवेदन कर सकता है।

(साभार : हिन्दुस्तान 21.05.2012)

बिजली की आंखमिचौनी से परेशानी

एक तो भीषण गरमी और ऊपर से बिजली की आंखमिचौनी। लोग परेशान हैं। जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, वैसे-वैसे बिजली की मार भी बढ़ती जा रही है। सब स्टेशन के नियंत्रण कक्ष भी शाम होते काम करना बंद कर देते हैं। फोन करने पर यह बताने वाला कोई नहीं होता कि बिजली आपूर्ति कब बहाल होगी। रात होते ही फोन का रिसीवर हटा कर रख देना भी आम बात हो गयी है।

बत्ती गुल हो, तो इन्हें पफोन करें

सब स्टेशन	पफोन नं०	सब स्टेशन	पफोन नं०
एस. के. पुरी	0612-2540763	बंदर बगीचा	0612-2222820
पाटलिपुत्र	0612-2262257	मौर्या लोक	9234919510
वेटनरी कॉलेज	0612-2024324	साहित्य सम्मेलन	0612-6411844
एक्साइज कॉलोनी	0612-2587424	गोला रोड	06115-227417
हाइकोर्ट	9204324126	अशोक नगर	0612-2352699
जक्कनपुर	0612-2244756	कंकड़बाग	0612-6415535
अनिसाबाद	0612-2252236		2350986
राजापुर	9798471978	बहादुरपुर	0612-2352186
आरबीआइ	06115-644215	गायघाट	0612-6414777
वाल्मी	0612-3207993	एनएमसीएच	0612-6413327
विकास भवन	0612-2227364	राजेन्द्र नगर	0612-2672853
विद्युत भवन	0612-2504781	सैदपुर	0612-2685237
सिंचाई भवन	0612-2217244	पीएमसीएच	0612-2302006
आइजीआइएमएस	0612-2280358	एस के मेमोरियल	9973134714
एएन कॉलेज	0612-2275545	एक्जिबिशन रोड	0612-2220428

(साभार : प्रभात खबर 21.05.2012)

वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन ऐतिहासिक कदम

राज्य के उप-मुख्यमंत्री व वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित राज्यों के वित्त मंत्रियों का प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक कदम होगा। वे नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलूरू में जीएसटी से संबंधित राज्यों के मुद्दे विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जीएसटी के कार्यान्वयन के फलस्वरूप करों की संख्या कम हो जाने के कारण उन पर उसका बोझ कम हो जाएगा। राज्यों में लगने वाले एडवर्टीजमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लक्जरी टैक्स, इंट्री टैक्स आदि सभी स्टेट जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज, सेस, एडीशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स आदि जो वस्तुओं पर अलग-अलग टैक्स के रूप में लगते हैं, सभी सेंट्रल जीएसटी में समाहित हो जाएंगे। इससे न केवल उपभोक्ताओं पर टैक्सों का बोझ कमेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय माल अन्य देशों की तुलना में स्पर्धात्मक रूप से उचित ढंग से टिक सकेंगे। अगर केंद्र सरकार राज्यों द्वारा एक स्वर में उठाए गए मुद्दों का सही रूप में समाधान कर दे तथा राज्यों की वित्तीय स्वायतता का पूरा ध्यान रखे तो जीएसटी के कार्यान्वयन पर शीघ्र ही सहमति बन जाएगी।

(साभार : दैनिक जागरण 26.05.2012)

वाहनों की जांच के लिए डोबी चेकपोस्ट चालू

वाहनों की जांच के लिए डोबी एकीकृत चेकपोस्ट को चालू कर दिया गया है। शेष चार चेकपोस्टों को भी शीघ्र खोला जाएगा। इनमें मोहनिया (भभुआ), रजौली (नवादा), चैनपट्टी (गोपालगंज) व डगरूआ चेकपोस्ट शामिल है।

परिवहन विभाग वाहनों की जांच के लिए एकीकृत चेकपोस्ट बनाया है। इस चेकपोस्ट पर परिवहन, एक्साइज, कस्टम, फोरेस्ट व खनन विभाग के पदाधिकारी मौजूद होंगे और वाहनों की ऑटोमेटिक जांच होगी। परिवहन विभाग के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए विभाग कई सकारात्मक कदम उठा रहा है। विभाग की पैनी निगाह चेकपोस्ट को टाइट करके ही राजस्व में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच कड़ाई से नहीं होती है जिससे वाहनों से फाइन की वसूली कम हो पाती है और राजस्व में वृद्धि नहीं हो पाती है। अब विभाग का निर्णय है कि इस वित्तीय वर्ष में सभी एकीकृत चेकपोस्ट खोल दिया जाए और वाहनों की ऑटोमेटिक जांच हो। वाहन जैसे ही चेकपोस्ट पर आएंगे उनके वजन की सही जानकारी मिल जाएगी कि वाहन ओवरलोड है या नहीं। अगर वाहन ओवरलोड होगा तो उनके ऊपर फाइन किया जायेगा। चेकपोस्ट पर परिवहन, कस्टम, एक्साइज, वन व खनन विभाग के पदाधिकारी मौजूद होंगे ताकि वे अपने-अपने विभाग से संबंधित जांच कर सकें।

(साभार : हिन्दुस्तान 05.05.2012)

उद्योग नहीं लगाने वालों को लौटानी होगी जमीन

बिहार औद्योगिक भूमि विकास प्राधिकार (बियाडा) अब अपनी सालों से बेकार पड़ी खाली जमीन को उद्यमियों से वापस लेने की योजना बना रही है। इसके लिए बियाडा अब एक निकास नीति बनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने इस जमीन को नए निवेशकों को देने की योजना बनाई है।

राज्य की उद्योग मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, "हमारे पास जमीन की काफी किल्लत है। दरअसल, हमारे राज्य में जनसंख्या का घनत्व दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं हमारे राज्य की जमीन काफी उपजाऊ भी है, जिसकी वजह से किसानों का जमीन से भावनात्मक संबंध है। ऐसे में हम जोर-जबरदस्ती से किसी की जमीन हासिल नहीं कर सकते हैं। इस परिस्थिति में हमें नए रास्तों को तलाशना होगा।" उन्होंने कहा, "हमने काफी अच्छी औद्योगिक नीति बनाई है। इसकी वजह से राज्य में लाखों करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। हालांकि, जमीन की कमी की वजह से यह प्रस्ताव मूर्त रूप नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में उन उद्यमियों को अपनी जमीन देने के बारे में सोचना चाहिए, जिन्होंने दशकों पहले बियाडा से जमीन हासिल करने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं किया है। इससे राज्य के तेज औद्योगिकीकरण में मदद मिलेगी।"

राज्य सरकार के सूत्रों की मानें तो बियाडा इस बारे में काफी गंभीरता से सोच रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'बीते कुछ सालों में राज्य में जमीन की कीमतों में काफी तेज इजाफा आया है। इस वजह से कई कारोबारियों ने दशकों पहले जमीन हासिल करने के बाद भी बियाडा से मिली जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है। वह अब राज्य सरकार से इस जमीन को खुले बाजार में बेचने की इजाजत मांग रही है। हालांकि, इससे सिर्फ इन कारोबारियों को फायदा होगा, जबकि राज्य सरकार को सभी के बारे में सोचना है।'

इस अधिकारी ने बताया, 'इसके लिए राज्य सरकार अब एक निकास नीति पर काम कर रही है। इसके तहत हम कारोबारियों से जमीन हासिल करेंगे। इसके बदले में उन्हें मुआवजे के रूप में कुछ राशि भी मिलेगी।'

(साभार : बिजनेस स्टैंडर्ड 26.05.2012)

बिना ई-मेल आईडी के नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

वाणिज्य कर विभाग में अब बिना ई-मेल आईडी और पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर आप पहले से वाणिज्य कर विभाग से निबंधित हैं तो जल्द ही संबंधित अंचल में अपना ई-मेल आईडी और पैन नम्बर जमा कर दें अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। इसके लिए सभी अंचल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द व्यापारियों से ईमेल आईडी और पैन नम्बर मांग लें ताकि हर काम ऑनलाइन किया जा सके।

वाणिज्य कर विभाग पहली जुलाई 2012 से हर काम ऑनलाइन करने जा रहा है। इससे सभी प्रकार के प्रपत्र ऑनलाइन मिलने शुरू हो जाएँगे। वैसे विभाग ने टीसीएस को निर्देश दिया है कि वह पहली जून से व्यवस्था लागू कर दे। उम्मीद की जा रही है कि पूरी जांच के बाद व्यापारियों के लिए पहली जुलाई से सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। व्यवस्था लागू होने के बाद व्यापारियों को हर सूचना उनके ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी।

विभाग ने वैसे व्यापारी जो दूसरे राज्यों से सामान मंगवाकर कारोबार करते हैं उनके लिए ई-रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया है। चाहे वह सौ रुपये टैक्स देता हो या एक करोड़ रुपए। यह व्यवस्था भी पहली जुलाई से अनिवार्य हो जाएगी। वैसे विभाग का मानना है कि सालाना एक लाख रुपये से अधिक टैक्स देने वाले लगभग 80 प्रतिशत व्यापारियों ने ई-रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया है। फिलहाल वाणिज्य कर विभाग ने सभी 49 अंचल को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जोड़ दिया है। अधिकारियों को अधिक से अधिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान 14.05.2012)

बिहार सरकार
वित्त वाणिज्य-कर विभाग
अतिआवश्यक सूचना

विदित हो कि बिहार पेशा व्यापार आजिविका एवं कार्य नियोजन अधिनियम 2011 के अधिन सम्पूर्ण पूर्वी और दक्षिणी एरिया रोड के साथ जो पटना समाहरणायल से शुरू होकर पूर्वी एवं दक्षिणी गाँधी मैदान से एक्जीविशन रोड तक और पूर्वी भाग एक्जीविशन रोड, आर. के. भट्टाचार्य रोड के साथ स्टेशन रोड, राजेन्द्र पथ होते हुए ठाकुरबाड़ी रोड, अब्दुलबारी रोड, खजांची रोड, जी.एम. रोड तथा अशोक राजपथ, पटना सदर पूर्वी भाग, सब डिवीजन तथा पटना सिटी सब डिवीजन जाती है, इसके अन्तर्गत पड़ने वाले सभी सरकारी, गैर सरकारी, कार्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों, संस्थानों, दुकानों में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी वेतन/मजदूरी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का पेशाकर उनके नियोजक द्वारा एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों के मामले में कार्यालय प्रधान / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मियों के वेतन / मजदूरी भुगतान के समय श्रोत पर पेशाकर की कटौती करना और विहित-रीति से बैंक में जमा किया जाना विधिसम्मत है। नियोजकों एवं कार्यालय प्रधान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि वे समय पर अपने कर्मचारियों/पदाधिकारियों के वेतन/मजदूरी से पेशाकर की कटौती करते हुए ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें।

श्रोत पर कर की कटौती नहीं करने एवं उसका विहित रीति से भुगतान नहीं करने की स्थिति में प्रतिमाह 100/- (एक सौ रुपये) शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है जिसका भुगतान भी नियोजकों द्वारा किया जायेगा।

नियोजक के मामले में उनके कार्यालय का आयकर विभाग द्वारा आवंटित **TAN No.** जिसके पहले बिहार राज्य का कोड 10 लगाकर पहचना संख्या बनाते हुए कर भुगतान किया जा सकता है। कार्यालय के **TAN No.** अभाव में नियोजक का **TAN No.** जिसमें पूर्व में 10 अंक जोड़कर अपना पहचान बनाते हुए कर भुगतान करेंगे जिसका दर निम्नांकित है:-

क्र०	वार्षिक आय	देय पेशाकर
1.	रु० 3 लाख से कम	शून्य
2.	रु० 3 लाख से रु० 5 लाख तक	रु० 1000.00 वार्षिक
3.	रु० 5 लाख से रु० 10 लाख तक	रु० 2000.00 वार्षिक
4.	रु० 10 लाख से ऊपर	रु० 2500.00 वार्षिक

पेशाकर का भुगतान नियोजक के कार्यालय के क्षेत्र के वाणिज्य कर अंचल से सम्बद्ध बैंक में चालान द्वारा किया जायेगा। चालान **PT-X** प्रपत्र में है, जिसका शीर्ष **Major Head 0028, Sub Major Head - 00, Minor Head - 107, Sub Head - 0003, Budget Code - R0028001070003**

उपरोक्त के आलोक में सभी राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों के कार्यालय प्रधानों एवं अन्य नियोजकों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों के वेतन से श्रोत पर पेशाकर कटौती कर अंचल कार्यालय, वाणिज्य-कर उपायुक्त, पटना उत्तरी अंचल के सम्बद्ध बैंक में जमा करावें। जिन कार्यालयों, नियोजकों द्वारा वर्ष 2011-12 का पेशाकर अब तक जमा नहीं किया गया है वे गत वर्ष के पेशाकर का भी भुगतान अविलम्ब कर दें।

विशेष जानकारी हेतु वाणिज्य-कर उपायुक्त, उत्तरी अंचल, अंटाघाट स्थित, पटना स्थित कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (प्रभारी)
उत्तरी अंचल, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान 14.05.2012)

उद्योगों के लिए प्रदूषण क्लीयरेंस अब तीन साल पर

उद्योगों को अब हर साल प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए प्रदूषण क्लीयरेंस की बाध्यता की समय सीमा बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी है। अब उन्हें 'कंसेंट टू ऑपरेट' के लिए पर्षद के दरवाजे पर तीन वर्ष तक नहीं जाना होगा। हर वर्ष पर्षद के पास जाने की अनिवार्यता खत्म होगी। सरकार के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण पर्षद उद्योग विभाग के सहयोग से इस दिशा में काम कर रहा है और पूरी योजना का प्रारूप नए सिरे से बनाया जा रहा है।

प्रत्येक वर्ष क्लीयरेंस लेने पर उद्योग जगत को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तीन वर्ष की समय सीमा का निर्धारण करने से उनकी कई समस्याएं खत्म होंगी। इससे समय की बचत होगी ही, जिसका उपयोग उद्यमी उत्पादक कार्यों में कर सकेंगे।

मौजूदा नियम के अनुसार उद्यमियों को हर वर्ष पर्षद के पास इस अनुमति के लिए दौड़ना पड़ता था। इससे कई समस्याएं सामने आ रही थीं। एक तो उन्हें गैर उत्पादक कार्यों में बेवजह की भागदौड़ करनी पड़ती थी और इस प्रक्रिया में कुछ भी विलंब होने पर अगले वर्ष का समय भी निकट आ जाता था। फिर उसी प्रक्रिया की शुरूआत करनी पड़ती थी। इससे साल का बड़ा हिस्सा उद्यमियों को पर्षद के दफ्तर में ही बिताना पड़ता था। यही नहीं इससे आर्थिक बोझ भी बढ़ता था।

राज्य सरकार ने इस वर्ष बजट सत्र में ही विधानसभा में प्रत्येक वर्ष अनुमति लेने की बाध्यता खत्म करने की घोषणा की थी। इसके पहले सूबे के उद्यमियों ने राज्य सरकार को इस संबंध में होने वाली परेशानियों से अवगत कराया था। साथ ही इसे खत्म करने का अनुरोध किया था। हालांकि पहले प्रत्येक वर्ष की बाध्यता खत्म कर उसे पांच वर्ष करने पर भी विचार किया गया लेकिन बाद में तीन वर्ष पर ही सहमति बनी।

(साभार : हिन्दुस्तान 19.05.2012)

बनेंगे शहरों के जीआईएस मैप

शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए उनका जीआईएस मैप बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गयी है। इसमें प्रत्येक संपत्ति व ढांचागत सुविधाएं एक ही नक्शे पर प्रदर्शित होंगी। इसके आधार पर ही इन शहरों में नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ विकास के कार्य सम्पन्न होंगे। यह योजना सूबे के उन 28 शहरों में लागू

होगा जहां डीएफआईडी के तहत विकास कार्य हो रहे हैं। यह जानकारी नगर विकास व आवास मंत्री डॉ० प्रेम कुमार ने दी। वे इन शहरों में हो रहे कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मंत्री ने बताया कि जीआईएस मैप के आधार पर इन शहरों में स्कूल, हॉस्पीटल के निर्माण के अलावा जलापूर्ति व्यवस्था, सीवरेज ड्रीटमेंट प्लांट, पानी टंकी, हाई टेंशन बिजली तार, जरूरत के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाए जाने की योजनाएं संचालित होंगी। यहीं नहीं प्रत्येक मकान की मौजूदा स्थिति और उसे मालिकाना हक आदि प्रदर्शित होंगे। इन नक्शों के आधार पर भविष्य की योजनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी और नगर निकायों द्वारा टैक्स वसूली में भी मददगार होगा। मंत्री ने कहा कि इन शहरों की क्षमता वृद्धि हेतु लेखाकार, इंजीनियर, सामाजिक विशेषज्ञ, कम्प्यूटर विशेषज्ञ समेत 133 कर्मी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

क्या है जीआईएस मैप

- भौगोलिक सूचनाओं के आंकड़े एकत्र करना, आंकड़ों का प्रबंधन, विश्लेषण और प्रदर्शन
- सबसे पहले कनाडा के अन्टेरियो में 1962 में इस सिस्टम का प्रयोग
- भारत में 485 जिलों का नक्शा इस आधार पर तैयार किया जा चुका है।

तकनीक के तीन प्रारूप

इस तकनीक का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, पुरातात्विक कार्य, शहरीकरण व अपराध विज्ञान में होता है। सामान्यतया इसके तहत तीन प्रारूप हैं। पहला डाटाबेस; जो एक तरह से भूज्ञान की सूचना प्रणाली होती है। बुनियादी तौर पर जीआईएस सिस्टम संरचनात्मक डाटाबेस पर आधारित होती है। दूसरा मानचित्र; यह ऐसे मानचित्रों का समूह होता है जो पृथ्वी की सतह संबंधी बातें विस्तार से बताते हैं। तीसरा प्रतिरूप; यह सूचना परिवर्तन उपकरणों का समूह होता है जिससे वर्तमान डाटाबेस द्वारा नया डाटाबेस बनाया जाता है।

प्लान में शामिल शहरें

पटना, दानापुर निजामत, खगौल, फुलवारीशरीफ, बिहारशरीफ, गया, बोधगया, औरंगाबाद, नवादा, हाजीपुर, छपरा, सीवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, डेहरी, सासाराम, आरा, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और जमालपुर। **(साभार : हिन्दुस्तान 26.05.2012)**

यातायात नियमों के उल्लंघन पर परिवहन विभाग सख्त
तीन गुना अधिक लगेगा जुर्माना

अपराध	वर्तमान में दण्ड
1. आज्ञा उल्लंघन, बाधा उत्पन्न व सूचना देने से इंकार	500 रुपए या एक महीना कारावास या दोनों
2. अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन	एक हजार रुपए जुर्माना या तीन माह जेल या दोनों
3. बिना लाइसेंस या 18 वर्ष से कम उम्र द्वारा वाहन चलाना	500 रुपए जुर्माना या तीन माह कैद या दोनों
4. ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अपराध	500 रुपए अर्थदण्ड या तीन माह जेल या दोनों
5. गाड़ी का सही बनावट व रखरखाव का अभाव	500 व 5000 का जुर्माना
6. अधिक स्पीड में गाड़ी चलाना	400 व एक हजार का दंड
7. खतरनाक ढंग से गाड़ी का परिचालन	छह माह जेल या दो हजार जुर्माना
8. शराब पीकर वाहन चलाना	छह माह जेल या दो हजार जुर्माना या दोनों
9. मानसिक व शारीरिक से अयोग्य व्यक्ति द्वारा गाड़ी चलाना	200 व 500 रुपए जुर्माना
10. दुर्घटना संबंधी अपराध	3 माह जेल या 500 जुर्माना या दोनों
11. दौड़ या गति का अनाधिकृत मुकाबला	एक माह कारावास या 500 जुर्माना
12. असुरक्षित वाहन उपयोग	250 जुर्माना या तीन माह कैद
13. बिना रजिस्ट्रेशन व परमिट के गाड़ी परिचालन	5 हजार जुर्माना व एक वर्ष कैद
14. ओवरलोडिंग वाहन	दो हजार जुर्माना व प्रति टन एक हजार अतिरिक्त दण्ड
15. बिना बीमा के गाड़ी चलाना	एक हजार जुर्माना या तीन माह कैद या दोनों
16. बिना वैध प्राधिकार के वाहन ले जाना व चलाना	500 जुर्माना या तीन माह कैद या दोनों
17. वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना	100 व 300 जुर्माना
18. दो पहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग	100 व 300 जुर्माना
19. सीमा से अधिक काला, अपारदर्शी, विंड स्क्रीन, रियरस्क्रीन, साइड- विण्डो वाहन का उपयोग	100 व 300 जुर्माना
20. वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग	एक हजार व दो हजार जुर्माना
21. वाहन के पीछे अनाधिकृत रूप से पदनाम पट्टिकाओं का प्रदर्शन	100 व 300 रुपए का जुर्माना
22. वाहनों पर डीम सहित व डीमरहित लाल पीली बत्ती का अनाधिकृत रूप से उपयोग	100 व 300 रुपए जुर्माना

(साभार : हिन्दुस्तान 11.04.2012)

बिहारी प्रतिभाओं पर बैंकों का बढ़ रहा भरोसा

शिक्षा कर

- घटेगी छात्रों की परेशानी, नहीं करनी होगी भागदौड़
- जिलावार कैम्प लगाकर जमा होंगे आवेदन

सर्वाधिक उदार बैंक

बैंक	संख्या (छात्र)	राशि (करोड़)
एसबीआई	7874	161.41
पीएनबी	3978	101.84
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2754	78.06
इलाहाबाद बैंक	2170	22.52
केनरा बैंक	2108	14.29

शिक्षा कर्ज का हाल

वर्ष	संख्या (छात्र)	राशि (करोड़)
2006-07	6426	178.14
2007-08	10181	280.93
2008-09	23348	577.56
2009-10	23616	704.82
2010-11	24854	744.28
2011-12	26820	525.05

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 19.05.2012)

मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा प्रदेश

सरप्लस बजट के साथ बिहार मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने पहली बार बजटीय आय-व्यय का हिसाब जनता के सामने पेश किया। सूचना भवन में आयोजित समारोह में योजना एवं विकास मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव ने 'एनालिसिस ऑफ बजटरी ट्रांजेक्शन ऑफ स्टेट' नामक रिपोर्ट का लोकार्पण किया। इसमें वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2010-11 के बीच मिली राशि और उसके खर्च का ब्यौरा है। यह दर्शाता है कि राज्य की आमदनी सालाना 21.62 प्रतिशत जबकि खर्च सालाना 19.93 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सरकार का खर्च अधिक बढ़ा है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 में राज्य की कुल प्राप्तियां 29847.78 करोड़ थी जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 65312.84 करोड़ रुपये हो गई। इसी अवधि में आंतरिक प्राप्तियां 23547.85 करोड़ रु० से बढ़कर 49266.31 करोड़ रुपये हो गई जबकि केन्द्र से मिलने वाली सहायता 6299.93 करोड़ रुपये से बढ़कर 16046.53 करोड़ रुपये हो गई। वित्तीय वर्ष 2007-08 में राज्य का कुल व्यय 31573.19 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 65325.87 करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में राज्य का सकल पूंजी निर्माण 7909.23 करोड़ रुपये से बढ़कर 14581.29 करोड़ रुपये हो गया। वहीं सकल बचत 6687.51 करोड़ रु० से बढ़कर 10151.22 करोड़ रु० हो गया। कार्यक्रम में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त निदेशक जीतेन्द्र कु० सिन्हा ने रिपोर्ट पर पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम में वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, एम. के. सिन्हा समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे। **(साभार : हिन्दुस्तान 26.05.2012)**

कर लाभ में बाधा नहीं है संयुक्त स्वामित्व

यदि परिसंपत्ति किसी एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जाती है तो वह पूरी कर छूट का हकदार होता है। लेकिन यदि इसे संयुक्त रूप से यानि पति-पत्नी द्वारा खरीदा जाता है तो कर छूट उसी अनुपात में मिलेगी। **(विस्तृत समाचार : बिजनेस स्टैंडर्ड 21.05.2012)**

CM to bankers : Put stress on micro mgmt

Maintaining that the state's economy is gradually coming back on the rails, CM Nitish Kumar asked bankers to put more stress on "micromanagement", as credit activities of the banks has been showing an increasing trend. Self-Help Groups (SHGs) and those engaged in self-employment ventures were desirous of strengthening their activities through bank loans.

The CM in this regard, made specific mention of complaints against bankers received during his recent 'Seva Yatra' to Kaimur and Muzaffarpur districts. Referring to the complaints of one Mridula Devi, secretary of an SHG in Kaimur district, the CM said that bankers there were charging interest on Rs. 2.50 lakh given to her SHG, which included the subsidy amount of Rs. 1.25 lack given under the State Rural Livelihood Mission project, or the Jeewika programme, on which interest cannot be charged. Similarly, hundreds of lac bangle makers at a village in Muzaffarpur district had faced banker's reluctance to give loans to them to strengthen their activities, the CM said.

Addressing the first meeting of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the current fiscal year here, Nitish said it had become incumbent on bankers "to pay more attention on micromanagement", and also added, "The state's economy is improving with the gross state domestic product (GSDP) registering an increase.

"Yet, the over all economy is still backward, and therefore, the banking administration at the lower level has to be toned up." He in the same vein, said, "Put more stress on transparency; hide the aberrant facts take action, and punish the guilty."

The CM stated that bankers should ensure that middleman had no role in the issuance of Kisan Credit Cards (KCCs) to farmers or illiterate peasants. There had been police cases in which middlemen had drawn money from banks using the KCC of a peasant and shared it among themselves, after spreading the canard that the money was a gift and government would waive the loan at a later date.

Nitish also asked the bankers to visit interior areas to hear people's complaints. "Only 5% people anywhere have complain to make, while the remaining 95% are generally happy that senior officials took notice of their plight."

He also asked the bankers to help in the implementation of Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS) a central project conceived in consultation with bankers. **(Source : The Times of India 17.05.2012)**

State CD ratio 36.7%, up from 25% in 1990s

The state's credit deposit (CD) ratio has finally crossed the threshold mark of 35% and now stands at 36.70% at the end of the 2011-12 fiscal. Otherwise, it had kept hobbling around 25% all through the 1990s and then kept moving in the vicinity of around 33% during the rule of CM Nitish Kumar under whose stewardship the state's economy started showing signs of recovery over the last six fiscals.

Indeed, so enthused and ambitious were the bankers after crossing the threshold mark that, in their key report, they prepared for the State Level Banker's Committee (SLBC) meeting computed it to 40.82%.

The bankers, in fact had also included the investement of Rs. 5,695.92 crore in the sum of total credit worth Rs. 50,703 crore arrived at after adding the total of credits (advances) and the money released by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) under its Rural Infrastructure Development (RIDF). Deputy CM Sushil Kumar Modi, with finance secretary (expenditure) Mihir Kumar Singh on his side, clarified the actual position. As Modi put it, the "actual CD ratio" of the state could be put only at 36.70%.. The figure has been arrived at in the light of total deposits worth Rs. 1,38,163 crore available in the banks on March 31 this year and credit of Rs. 48,212 given by the banks during the last fiscal. "Therefore, the actual CD ratio of the state is only 34.9%, but if Rs. 2,490 crore given to the state government by NABARD under RIDF to be spent on infrastructure development activities is also accounted for, then the CD ratio comes to 36.70%. It is not a bad performance." Modi said, adding that it is something that has been achieved after several decades.

As a matter of fact, the state's CD ratio had last recorded a high mark of 35% in the late 1980s, when Bindeshwari Dubey was the state's CM, and after that it started going down steadily, until the recovery started again from the 2006-07 fiscal under CM Nitish Kumar. As it is the CD ratio was 33.81% in 2006-07, 32.35% in 2007-08, 28.96% in 2008-09, 30.30% in 2009-10, 33.99% in 2010-11 and 39.41% (including the amount under RIDF) in December 2011 of the 2011-12 fiscal.

The agenda for the SLBC meeting held on the day says, "As at the end of March 2012, the CD ratio stood at 36.70%.... The incremental CD ratio for the period under review is 49.40%... If the amount of Rs. 836.43 crore had not been written off during 2011-12 the CD ratio would have been 37.30%."

(Source : The Times of India 17.05.2012)

19 मई से पीएनबी की डोर स्टेप बैंकिंग

इन्हें मिलेगी छूट

• **प्लैटिनम करेंट अकांउट** : क्वाटर्ली 10 लाख रुपये, औसत बैलेंस रखने पर कोई चार्ज नहीं • **डायमंड करेंट अकाउंट** : क्वाटर्ली पांच लाख रुपये औसत बैलेंस रखने पर 75% की छूट • **गोल्ड करेंट अकाउंट** : क्वाटर्ली दो लाख रुपये औसतन बैलेंस रखने पर 50% की छूट • **सिल्वर करेंट अकाउंट** : क्वाटर्ली 50,000 रुपये औसतन बैलेंस रखने पर 25% की छूट • **सेविंग अकाउंट** : जो चार्ज

माह का चार्ज	कॉल बेसिस चार्ज
1 लाख तक : 2350 रु०	1 लाख तक : 105 रु०
1 लाख से 2 लाख : 2750 रु०	1 लाख से 2 लाख : 115 रु०
2 लाख से 4 लाख : 4500 रु०	2 लाख से 4 लाख : 260 रु०
4 लाख से 5 लाख : 6500 रु०	4 लाख से 5 लाख : 260 रु०
5 लाख से 6 लाख : 6500 रु०	5 लाख से 6 लाख : 260 रु०
6 लाख से 8 लाख : 6500 रु०	6 लाख से 8 लाख : 260 रु०
8 लाख से 10 लाख : 6500 रु०	8 लाख से 10 लाख : 260 रु०
10 लाख से 20 लाख : 9800 रु०	10 लाख से 20 लाख : 375 रु०
20 लाख से 35 लाख : 12000 रु०	20 लाख से 35 लाख : 525 रु०
35 लाख से 50 लाख : 12000 रु०	35 लाख से 50 लाख : 525 रु०
50 लाख से 75 लाख : 20800 रु०	50 लाख से 75 लाख : 800 रु०
75 लाख से 1 करोड़ : 20800 रु०	75 लाख से 100 लाख : 800 रु०
एक करोड़ से अधिक : 35500 रु०	100 लाख से ऊपर : 1400 रु०

(विस्तृत समाचार : प्रभात खबर 14.05.2012)

बार-बार नहीं बदलेगा ईपीएपफ नम्बर

मोबाइल नंबर की तरह ही ईपीएफ खाता संख्या पोर्टेबल हो जाएगा। जिस तरह से आप बिना नंबर बदले टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी बदल सकते हैं, ठीक उसी तरह एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी बदलने पर भी आपका ईपीएफ खाता वही रहेगा। उम्मीद है कि यह सुविधा नौकरीपेशा लोगों को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक मिल जाएगी।

अब तक यही होता है कि नौकरी बदलने के साथ ही दूसरी कंपनी में नया ईपीएफ एकाउंट खोल दिया जाता है। ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ईपीएफ संख्या को नियोक्ता से जोड़ने की मौजूदा प्रणाली वापस लेने की योजना बना रहा है। मौजूदा प्रणाली के स्थान पर एक केंद्रीकृत यूनिक एकाउंट नंबर जारी किया जाएगा। पैन नंबर, यूआईडी (यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर) या नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री की तरह ही ये नंबर भी आपकी पहचान संख्या होगी। इसकी सहायता से आपको अपने ईपीएफ पर नजर रखना आसान होगा और कंपनी बदलने के साथ ईपीएफ खाता बदलने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब यह पोर्टेबल हो जाएगा।

(साभार : हिन्दुस्तान 26.05.2012)

हर भारतीय हो जाएगा 33 हजार का कर्जदार

भारी सब्सिडी के बोझ और राजस्व वसूली में कमी के कारण सरकार के ऋण में हो रही बढ़ोत्तरी से वित्त वर्ष 2011-12 में देश का प्रत्येक नागरिक 33 हजार रुपये का कर्जदार हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय में 14 प्रतिशत लेकिन ऋण में 23 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च 2012 में प्रति व्यक्ति ऋण के 32,812 रुपये पर और प्रति व्यक्ति आय के 14 प्रतिशत बढ़कर 60,972 रुपये पर पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2010-11 में प्रति व्यक्ति ऋण 26,600 रुपये पर था और यह प्रति व्यक्ति आय की तुलना में 50 प्रतिशत से नीचे था।

प्रति व्यक्ति ऋण में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से सरकार के साथ ही कंपनियों द्वारा घरेलू और विदेशी बाजारों से उठाए गए कर्ज से हुई है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण और वाहन ऋण भी अधिकांश लोगों पर है।

सरकार बढ़े ऋण के साथ ही लघु बचत स्कीमों जैसे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या जन भविष्य निधि के माध्यम से और बाजार से भी उधार लेती है। विदेशी ऋण की बढ़ोतरी में निजी क्षेत्र हिस्सेदारी अधिक है, क्योंकि विदेशी ऋण सस्ते पड़ते हैं। कुल मिलाकर देश का बढ़ता ऋण अंतर्राष्ट्रीय साख निर्धारण एजेंसियों की नजर में आ सकता है और इसका असर साख निर्धारण पर पड़ सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक भारत का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के करीब 67 प्रतिशत तक रहने की संभावना है जो दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक्स के चार सदस्यों देशों से अधिक है।

(साभार : हिन्दुस्तान 26.05.2012)

अपार्टमेंट के निर्माण में नियमों की अनदेखी

अपार्टमेंट का नक्शा पास कराने के लिए ये है जरूरी...

• जमीन की रजिस्टर्ड डीड • नक्शा • विवादित जमीन नहीं होने का शपथ पत्र • नगर निगम के पंजीकृत डिजाइनर द्वारा बनाई गई डिजाईन • कम से कम 20 फीट की चौड़ी सड़क • दाखिल-खारिज की रसीद • मालगुजारी की रसीद • अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र • हवाई मार्ग में निर्माण के लिए एयरपोर्ट ऑथरिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ऐसे होता है अवैध निर्माण : • पार्किंग के स्थान पर दुकान का निर्माण • बगैर अनुमति गार्ड और जेनरेटर के लिए कमरे बनवाना • पार्किंग के स्थान पर फ्लैट का निर्माण • निर्धारित ऊँचाई में चार तल्ले का नक्शा स्वीकृत कराकर पांच तल्ले का निर्माण।

नियम में ही है लोचा : शहरी क्षेत्र में 20 फीट से कम चौड़ी सड़क पर बहुमंजिली इमारत बनाने की अनुमति नहीं है। लेकिन, जिस सड़क की लंबाई सौ फीट से कम हो या दूसरा छोर किसी अन्य सड़क पर नहीं निकलता हो, वैसी सड़कों की चौड़ाई 20 फीट से कम रहने पर भी बहुमंजिली इमारतों का नक्शा स्वीकृत किया जा सकता है। पर भवन की ऊँचाई 11 मीटर से कम होनी चाहिए। किसी भी अपार्टमेंट के निर्माण में आगे-पीछे खाली जगह होनी चाहिए। 11 मीटर तक या इससे कम ऊंचे भवनों के निर्माण में आगे 30 और पीछे 50 फीसदी विचलन किया जा सकता है। बिल्डर द्वारा इस तरह के विचलन करने पर कार्रवाई के नाम पर पांच से डेढ़ हजार रुपये प्रति वर्गमीटर के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाता है।

सख्त नियम बने और उसका पालन हो : रियल एस्टेट की कंपनी कभी भी संकरी सड़कों पर बहुमंजली इमारतों का निर्माण नहीं करती है। कोई ठोस नियम-कानून नहीं रहने के कारण दो-तीन कटठे जमीन लेकर स्वयं को बिल्डर कहने वाले लोग जहां मर्जी वहां अपार्टमेंट का निर्माण करते हैं। इसके लिए जमीन मालिक भी दोषी है। हर हाल में सरकार को ऐसा नियम बनाना होगा, जिससे इस तरह का निर्माण करना संभव नहीं रहे।

मणिकांत, ऑल इंडिया बिल्डर एसोसियेशन, बिहार चैप्टर के अध्यक्ष

अवैध निर्माण की सूचना पर जांच-पड़ताल कर नगर निगम करता है कार्रवाई: शहर में जहां कहीं भी अवैध निर्माण की सूचना मिलती है उसकी जांच-पड़ताल कर कार्रवाई की जाती है। बिल्डर के खिलाफ विजिलेंस केस दर्ज कराया जाता है। लेकिन नगर आयुक्त के न्यायालय का फैसला अंतिम नहीं होता है। इसके खिलाफ ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामला जाता है। इसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचता है। मामला जब न्यायालय में चला जाता है तब उसके आदेश के मुताबिक ही कार्रवाई होती है। **– पंकज कुमार पॉल,** नगर आयुक्त

(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 26.05.2012)

अब और महंगा होगा घर बनाना

अब घर बनाना और महंगा होगा। राज्य सरकार ईंट-भट्ठा व्यापारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने पर विचार कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इन व्यापारियों पर 15 प्रतिशत टैक्स की बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर घर बनाने वाले लोगों पर पड़ेगा। अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो ईंट की कीमत बढ़ जाएगी। फिलहाल पटना शहर में ईंट की कीमत 6500 से 7000 रुपये प्रति हजार है। वाणिज्य कर विभाग ने इसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। उम्मीद है कि अगले महीने में ईंट-भट्ठा व्यापारियों पर नया टैक्स लागू हो जाएगा।

वाणिज्य कर विभाग ने 4 मई 2006 को एक अधिसूचना जारी कर क्षेत्र के अनुसार ईंट-भट्ठा व्यापारियों पर तीन श्रेणियों में कम्पाउंडिंग टैक्स निर्धारित किया था। इसके अन्तर्गत व्यापारियों को सालाना 1 लाख, 80 हजार एवं 60 हजार कंपाउंडिंग टैक्स निर्धारित किया गया। बताया जाता है कि जल्द ही इन तीनों श्रेणियों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। अधिसूचना में यह भी निर्धारित किया गया था कि वर्ष के लिए निर्धारित समाहितीकरण (कंपाउंडिंग) की राशि का भुगतान चार किस्तों में किया जा सकता है। इनमें वित्तीय वर्ष के 15 मार्च, 15 जून, 15 सितम्बर एवं 15 दिसम्बर तय किया गया था।

ईंट-भट्ठा व्यापारियों पर लगने वाला टैक्स
1. **क्षेत्र :** पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं दरभंगा के शहरी क्षेत्र **उत्पादन क्षमता :** 45 लाख ईंट **सालाना लगने वाला टैक्स** : 1,00,000
2. **क्षेत्र :** अन्य शहरी क्षेत्र **उत्पादन क्षमता :** 35 लाख ईंट **सालाना लगने वाला टैक्स** : 80,000
3. **क्षेत्र :** ग्रामीण क्षेत्र **उत्पादन क्षमता :** 25 लाख ईंट **सालाना लगने वाला टैक्स** : 60,000

पिछले चार वर्षों में मिला टैक्स	
वर्ष	**टैक्स वसूली**
2008-09	7.80
2009-10	9.74
2010-11	10.87
2011-12	17.02

3783 डीलर हैं बिहार में निर्बंधित

15 फीसदी बढ़ेगा ईंट पर टैक्स

उप-मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा : उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2011-12 के बजट भाषण में ईंट-भट्ठों के कंपाउंडिंग कर दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी।

(साभार : हिन्दुस्तान 26.05.2012)

गांव में भी पेयजल पर टैक्स

गांवों में भी पीने के पानी का शुल्क देना होगा। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर लगभग सभी राज्यों ने सहमति जताई है। इसके लिए प्रत्येक परिवार को रोजाना अपनी ग्राम पंचायत में एक रुपये की राशि जमा करानी होगी। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि ग्रामीण भारत के लोग साफ पानी के लिए शुल्क देने को राजी है। राज्यों के पेयजल व स्वच्छता मंत्रियों के सम्मेलन में इस पर आम सहमति बन गई।

नलों से पेयजल आपूर्ति में उत्तर प्रदेश और बिहार फिसड्डी साबित हुए हैं। पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता पर राज्यों के मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन के अंतिम दिन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र के धन से पेयजल कार्यक्रम के तहत किसी राज्य को हैंडपम्प लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक मांग हैंडपंपों की होती है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा

अधिक पाई गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पेयजल आपूर्ति में ओवरहेड टैंकों और पाइप वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन राज्यों में नलों से पेयजल आपूर्ति 10 फीसदी से भी कम होती है। नलों से पेयजल आपूर्ति के बदले ग्रामीण परिवारों को महाराष्ट्र के गढ़विचौली की तर्ज पर टोकन राशि के तौर पर एक रुपये रोजना ग्राम पंचायत में जमा करना होगा। उस राशि का उपयोग पेयजल आपूर्ति के रखरखाव के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मिशन 2022 तैयार किया है जिसके तहत 90 फीसदी गांवों में नलों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में राज्यों ने कहा : • बिहार : पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय नीति बनाये केंद्र **• झारखंड :** पेयजल के लिए कम से कम चार हजार करोड़ रुपये की जरूरत **• हरियाणा :** मेवात व महेंद्रगढ़ के मरुभूमि वाले क्षेत्र में पेयजल को अतिरिक्त मदद मांगी **• उत्तर प्रदेश :** केंद्र नीति बनाये, हमारी सरकार उसका पालन करेगी।

(साभार : दैनिक जागरण 26.05.2012)

RTI में आपका स्वागत है!

अब अगर किसी को आरटीआई के तहत सूचना चाहिए तो वे एक कॉल कर या फिर वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन दे सकेंगे। सरकार ने इसके लिए अलग से कॉल सेंटर और पोर्टल खोलने की पहल की है। इस बारे में गाइडलाइंस जारी कर दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के मुताबिक कॉल सेंटर खुलने के बाद आम लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक जिस एजेंसी को काम दिया जाएगा उसके साथ बैठकर एक्शन प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस कॉल सेंटर को खोलने के पीछे वह रिपोर्ट है जिसमें कहा गया था अब भी आम लोगों के लिए ऑफिस की दौड़ लगाकर आवेदन देना मुश्किल काम है। साथ ही प्रस्तावित कॉल सेंटर और पोर्टल में लोग सूचना न मिलने पर शिकायत भी कर पाएंगे या आवेदन का स्टेटस रिपोर्ट ले पाएंगे। डीओपीटी के मुताबिक छह महीने के अंदर कॉल सेंटर काम करना शुरू कर देगा। कौन सी एजेंसी काम करेगी, इस बारे में जुलाई के दूसरे हफ्ते तक फैसला ले लिया जाएगा। कॉल सेंटर और पोर्टल के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी जबकि डीओपीटी उसकी मॉनिटरिंग करेगा।

क्या – क्या होगी सुविधा

• किसी सूचना के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। घर बैठे मिलेगी सुविधा • कोई भी फोन पर आरटीआई के तहत सूचना के लिए आवेदन कर सकता है • पोर्टल पर विजिट कर या कॉल सेंटर फोन कर स्टेटस रिपोर्ट ले पाएंगे • ई-मेल के जरिए सूचनाएं भेजी जाएंगी • अलग से पोर्टल पर आरटीआई के तहत हर सूचनाएं मिल सकेंगी। (Source : I Next 16.05-2012)

अनुरोध

चैम्बर कार्यालय द्वारा मेम्बरशिप लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय, आवास, फैक्स, मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी की जानकारी चैम्बर कार्यालय में भेजने की कृपा करें। चैम्बर के ई-मेल **bccpatna@gmail.com** पर भी सदस्य उक्त जानकारी दे सकते हैं।

विनम्र निवेदन

माननीय सदस्यों की सेवा में वित्तीय वर्ष **2012-13** के सदस्यता शुल्क हेतु विपत्र चैम्बर कार्यलय से निर्गत किया जा चुका है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना सदस्यता शुल्क यथाशीघ्र भेजकर हमें अनुग्रहित करें।

e-postal order

केंद्र सरकार ने एनआरआईजे को आरटीआई कानून के तहत जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पहल की है। आरटीआई फीस का भुगतान अब इलेक्ट्रोनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) से किया जा सकेगा। इसके लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। एनआरआई को इस कानून के माध्यम से सूचना प्राप्त करने में कठिनाई होती थी क्योंकि 10 रुपये के आईपीओ या डिमांड ड्राफ्ट आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। कार्मिक विभाग डाक विभाग के साथ ई-आईपीओ जारी करने के लिए सहमत हो गया है। प्रस्तावित योजना के तहत जब आवेदक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ई-आईपीओ खरीदेगा तो यह कागजी रूप में नहीं मिलेगा। उसे केवल एक नंबर मिलेगा जिसे आवेदन पर अंकित किया जा सकता है। सूचना मांगने वाला इस नंबर को आरटीआई आवेदन पर लिखकर उसे संबंधित अधिकारी के पास भेज सकता है।(Source : I Next 16.05-2012)

सात और चीनी मिलें भी लीज पर निजी क्षेत्र को मिलेंगी

सूबे की बंद पड़ी सरकारी चीनी मिलों को खोलने की नई पहल शुरू की गई है। सात चीनी मिलों को चालू करने या फिर वहाँ नए उद्योग लगाने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार फिर से टेंडर करने पर विचार कर रही है। इन मिलों को 60 वर्ष की लंबी अवधि के लीज पर निजी क्षेत्र को देने की योजना है जिसकी अवधि भविष्य में शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए जल्दी ही टेंडर जारी होने की संभावना है।

पहले तीन चरणों में आठ चीनी मिलों का मामला निपटाया जा चुका है। हाल में लोहट और समस्तीपुर चीनी मिलों को प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद सात चीनी मिलों का मामला बच गया है। अब तक सरकार की पहल पर लौरिया, सुगौली, मोतीपुर, रैयाम, बिहटा, सकरी, लोहट और समस्तीपुर चीनी मिलों पर फैसला हो चुका है जबकि बनमनखी, हथुआ, वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सीवान और न्यू सावन पर पेंच फंसा हुआ है। ये मिलें डेढ़ दशक से बंद पड़ी हैं।

बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड के तहत संचालित होने वाली सभी 15 चीनी मिलें पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल में 90 के दशक में कुप्रबंधन का शिकार हो वर्ष 1994-95 तक एक-एक कर बंद हो गई। वर्ष 2005 में नीतीश सरकार के गठन के बाद उन्हें फिर से चालू करने की योजना बनी और इसके लिए एसबीआई कैप्स की मदद ली गई। इसी क्रम में पाँच वर्षों में आठ चीनी मिलों को फिर से चालू करने में सफलता मिली। (साभार : हिन्दुस्तान, 07.05.2012)

बिहार के प्रति व्यक्ति जमा 8657 रुपये पर सूद कमा रहे बैंक

राज्य में सारव – जमा अनुपात बढ़ा

• विकास और रोजगार सृजन की बजाय विकसित प्रदेशों में जा रही रकम • सिर्फ पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया व सारण के ही जमा हैं 64856 करोड़ • बैंकों ने जमा की तुलना में सबसे कम 21.10 फीसदी कर्ज दिया है सीवान को।

13 8163 करोड़ रु० बैंकों में जमा हैं बिहार के लोगों के **48212** करोड़ का कर्ज बांटा गया है राज्य में

प्रति व्यक्ति जमा धन और कर्ज का हाल

राज्य	जमा (रुपये)	कर्ज (रुपये)	राज्य	जमा (रुपये)	कर्ज (रुपये)
महाराष्ट्र	110183	89575	आंध्र प्रदेश	29711	31238
पंजाब	48806	34705	उड़ीसा	20661	10983
हरियाणा	43796	27605	मध्य प्रदेश	16796	10043
तमिलनाडु	42580	47964	उत्तर प्रदेश	15957	6793
प० बंगाल	31206	19138	बिहार	13297	4640

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.05.2012)

EDITORIAL BOARD
K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296